भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2123

जिसका उत्‍तर 28 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

**.....**

**नदी प्रदूषण को दण्‍डनीय अपराध बनाया जाना**

**2123. श्रीमती जया बच्‍चन :**

क्‍या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार** **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

1. क्‍या सरकार ने देश की नदियों की बदतर स्थिति का संज्ञान लिया है ;

(ख) क्‍या सरकार की नदी प्रदूषण को दण्‍डनीय अपराध बनाने के लिए नया कानून लाने या मौजूदा कानून में संशोधन करने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं और अपराधियों को दंडित करने के लिए उठाये जा रहे अन्‍य कदमों का ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्‍तर**

**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार राज्‍य** **मंत्री, संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री और कपड़ा मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री संतोष कुमार गंगवार)**

(क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने सूचित किया है कि संदूषित नदियों की पहचान करना, राज्‍य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ समन्‍वय करके उचित सुधारात्‍मक उपाय करना और इसके प्रभाव का मूल्‍यांकन करना राज्‍य सरकारों/ स्‍थानीय निकायों की जिम्‍मेदारी है । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राष्‍ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) कार्यक्रम के साथ-साथ राष्‍ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत प्रमुख नदियों के पहचाने गए खंडों में प्रदूषण की समस्‍या का समाधान करने में राज्‍य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करता है । एनआरसीपी और एनजीआरबीए के अंतर्गत परियोजनाएं केन्‍द्र और राज्‍य सरकार के बीच लागत-भागीदारी के आधार पर कार्यान्वित की जा रही हैं । वर्तमान में इन कार्यक्रमों में 10716.45 करोड़ रूपये की स्‍वीकृत लागत से 21 राज्‍यों के 199 शहरों में 42 नदियों के प्रदूषित खंड शामिल किए गए हैं । इन कार्यक्रमों के अंतर्गत लगभग 4957.98 मिलियन ली. प्रति दिन (एमएलडी)द्वारा की जलमल उपचार क्षमता सृजित की गई है ।

(ख), (ग) और (घ) गंगा के लिए एक व्‍यापक नदी बेसिन प्रबंधन योजना (जीआरबीएमपी) तैयार करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और 07 आईआईटी के संघ द्वारा वर्ष 2010 में 10 वर्ष के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओए) किया गया था । आईआईटी के अतिरिक्‍त राष्‍ट्रीय जल विज्ञान संस्‍थान (एनआईएच),रूड़की, बनारस हिन्‍दू विश्‍वविद्यालय, विभिन्‍न अन्‍य विश्‍वविद्यालयों और अनुसंधान संस्‍थानों को भी शामिल किया गया है । इस संघ द्वारा अन्‍तरिम रिपोर्ट प्रस्‍तुत कर दी गई है जिसमें राष्‍ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्रबंधन विधेयक के लिए एक प्रस्‍ताव किया गया है । तथापि अन्तिम रिपोर्ट अक्‍टूबर, 2014 तक अपेक्षित है ।

सरकार गंगा नदी के पुनरूद्धार के लिए प्रतिबद्ध है । विभिन्‍न पणधारियों जैसे मंत्रालयों अर्थात पर्यावरण एवं वन मंत्रालय; जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरूद्धार; शहरी विकास; पर्यटन ; पोत परिवहन; पेयजल आपूर्ति एवं स्‍वच्‍छता; ग्रामीण विकास आदि, और शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों और गंगा की साफ-सफाई के साथ जुड़े गैर सरकारी संगठनों के साथ परामर्श जारी है । कार्य योजना की स्‍पष्‍ट रूपरेखा और इसके प्रमुख घटकों का निर्धारण, समय सीमा और संभावित व्‍यय की जानकारी गंगा नदी को साफ करने के लिए कार्य योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही मिल पायेगी ।

\*\*\*\*\*